कार्यालय नजारत अनुभाग, जिला जजी-खीरी।

सं० 2 / IX-8-2021, दिनांक- फरवरी, 11, 2022

वाहन नीलामी हेतु विज्ञप्ति

वाहन क्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जनपद न्ययालय, लखीमपुर-खीरी के निष्प्रयोज्य घोषित सरकारी वाहन सं० UP34B 0914, एंबेस्डर कार, निर्माण वर्ष-1997 की सार्वजनिक नीलामी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुक्रम में दि० 14/03/2022 को सायंकाल 04:30 बजे जनपद न्यायालय, लखीमपुर-खीरी के सभाकक्ष में जिलाधिकारी लखीमपुर-खीरी की अध्यक्षता में गठित नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी। उक्त नीलामी हेतु निर्धारित न्यूनतम मूल्य मु० 15000/- रू० है तथा नीलामी को उच्चतम बिड के आधार पर स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त वाहन के लिये पृथक-पृथक प्रत्येक बोलीदाता को धरोहर धनराशि मु० 1000/- रू० नकद धनराशि के रूप में बोली बोलने से पहले नजारत अनुभाग, जिला जजी-खीरी में जमा करनी होगी। सर्वाधिक बोलीदाता को कुल बोली का 1/4 धनराशि उसी समय जमा करनी होगी तथा शेष 3/4 धनराशि निर्धारित अवधि में जमा न करने पर तथा वाहन का कब्जा न लेने पर जमा की गयी समस्त धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा। न्यूनतम बोली न आने पर अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणवश नीलामी स्थगित करने अथवा अन्य परिस्थितियों में निरस्त करने का अधिकार नीलामी स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को होगा। नीलामी समिति को किसी एक अथवा समस्त बोलियों को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा। समिति द्वारा स्वीकृत की गयी उच्चतम बोली तभी अन्तिम मानी जायेगी जब समिति के अध्यक्ष जिला अधिकारी, लखीमपुर-खीरी द्वारा बोली अनुमोदित / स्वीकृत कर दी जायेगी। अन्तिम स्वीकृति के पश्चात किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। नीलामी के पूर्व उक्त वाहन का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस मे जनपद न्यायालय परिसर, लखीमपुर-खीरी में किया जा सकता है तथा वाहन को जहां जैसा है वैसी स्थिति में नीलामी कर कब्जा दिया जायेगा। क्रेता को नीलामी धनराशि के अतिरिक्त जो अनुमन्य है, यथा वैट, पंजीयन स्थानांतरण शुल्क आदि जमा करना / स्वयं वहन करना होगा। विज्ञप्ति का विवरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिकारिक बेवसाइट www.allahabadhighcourt.in व जनपद न्यायालय की बेवसाइट http://districts.ecourts.gov.in/kheri पर उपलब्ध है।

11/2/2022

प्रभारी अधिकारी नजारत /
अपर जिला जज कोर्ट सं० 13,
लखीमपुर-खीरी।